फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री लोगर **विपक्षी : श्री तुलसीराम**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 01/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.08.2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1080 मी. में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1443/1049 के उत्तर से दक्षिण की ओर में से होकर 15 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थीगण के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 1443/1049 रकबा 0.5261 हेक्टेयर में से 0.0200 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1444/1050 रकबा 0.1214 हेक्टेयर में से 0.0040 हेक्टेयर कुल रकबा 0.0240 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 16,55,393/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 40,000/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 6 के नाम पर दर्ज हैं। विपक्षीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया, इससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: : <u>आदेश</u> : :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वासनीकलां पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 1080 मी. में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 से 6 की आ.न. 1443/1049 रकबा 0.5261 हेक्टेयर में से 0.0200 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1444/1050 रकबा 0.1214 हेक्टेयर में से 0.0040 हेक्टेयर कुल रकबा 0.0240 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 15 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 16,55,393/– अक्षरे सोलह लाख पच्चपन हजार तीन सौ तिरानवे रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0240 हेक्टेयर की कुल कीमत 40,000/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 80,000/– रूपयें अस्सी हजार रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी सं. 1 से 6 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 6 को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified (श्रीकान्त व्यास) Digitally signed by Shrikant Vyas सहायक कलक्टर Date: 2023.08.29 16:44:13 IST (FT) मावली Reason: SelfAttested	